



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 36 of 2024

(Amendment No. 63 to
Subject List, edition 2013)


**Sub.: Addition of subject in item no.1 in the Subject List of E(O)-I
Branch under Secretary Dte.**

To bring in uniformity in dealing with D&AR cases, it has been decided to amend the item no. 1 of the subject list of E(O)-I Branch under Secretary Dte. as under:

“Discipline and appeal cases of all Gazetted Officers (including superior officers of RPF wherever Railway Board/President is the DA/Appellate Authority/Revisionary Authority) on Railways/Production Units etc”.

2. Revised subject list of E(O)-I branch is enclosed at **Annexure-I**.
3. The above issues with the approval of the competent authority.

No.2024/O&M/7/16
Dated: 08.07.2024


(T.Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at
Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

EDPG/MR, JDPG/MOSR(S), Sectt. of MOSR(R).

Annexure-I

E(O) - I

1. Discipline and appeal cases of all Gazetted Officers (including superior officers of RPF wherever Railway Board/President is the DA/Appellate Authority/Revisionary Authority) on Railways/Production Units etc. **(vide O.O. No. 36 of 2024)**
2. Withholding/reduction of pension of Gazetted officers of Railways/Production Units etc. as a result of departmental/judicial proceedings.
3. General Rules regarding fixation of seniority of officers on Recruitment/Promotion/Absorption in Group 'A'.
4. Seniority of officers and initial fixation of pay (Date of increment on time scale-DOITS) on permanent promotion to Group 'A' against promotion quota in the Junior Scale in various All India Services.
5. Grant of extension of service to individual Gazetted officers, excluding those working in Board's office and RDSO etc.
6. Cases of re-employment of Gazetted officers.
7. Grant of Disability Leave to Gazetted Officers.
8. Premature retirement of Gazetted officers of Indian Railways/Production Units etc as also Railway Board Secretariat Service.
9. Voluntary retirement from service of Group-A officers of Indian Railways/Production Units etc.
10. All matters relating to ex-states Railway Gazetted officers on subjects mentioned in items 1 to 9 above.
11. Representations from Gazetted officers in respect of matters relating to subjects dealt with in E(O)I Br.
12. Issues relating to according sanction for prosecution against Gazetted Officers.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 36

(विषय सूची के 2013
संस्करण में संशोधन सं. 63)

विषय : सचिव निदेशालय के अंतर्गत ई (ओ)-I शाखा की विषय सूची की मद संख्या 1
में विषय संवर्धन

अनुशासन एवं अपील मामलों के निपटान में एकरूपता लाने हेतु सचिव निदेशालय के अंतर्गत ई(ओ)-I शाखा की विषय सूची की मद संख्या 1 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है:


“रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि पर सभी राजपत्रित अधिकारियों (रेल सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित, जहां कहीं भी रेलवे बोर्ड/राष्ट्रपति डीए/अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकारी हैं) के अनुशासन और अपील मामले।”

2. ई(ओ)-I शाखा की संशोधित विषय सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/7/16

दिनांक: 08.07.2024


(टी.श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

टेलीफोन नं. 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (एस),
रेल राज्यमंत्री (आर) सचिवालय।

ई(ओ)-1

1. रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि पर सभी राजपत्रित अधिकारियों (रेल सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित, जहां भी रेलवे बोर्ड/राष्ट्रपति डीए/अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकारी हैं) के अनुशासन एवं अपील के मामले। (2024 के कार्यालय आदेश सं. 36 के तहत)
2. विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि के राजपत्रित अधिकारियों की पेंशन रोकना/कटौती करना।
3. समूह 'क' में भर्ती/पदोन्नति/समाहन पर अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में सामान्य नियम।
4. विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति कोटे के अंतर्गत समूह 'क' में स्थायी पदोन्नति पर अधिकारियों की वरिष्ठता और वेतन का प्रारंभिक निर्धारण।
5. बोर्ड कार्यालय तथा अअमासं आदि में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर राजपत्रित अधिकारियों की सेवावधि बढ़ाना।
6. राजपत्रित अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के मामले।
7. राजपत्रित अधिकारियों को अशक्तता छुट्टी प्रदान करना।
8. भारतीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि सहित रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के राजपत्रित अधिकारियों की समय-पूर्व सेवानिवृत्ति।
9. भारतीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि के समूह 'क' अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।
10. उपर्युक्त मद 1 से 9 में उल्लिखित विषयों के संबंध में भूतपूर्व राज्य रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों के सभी मामले।
11. ई(ओ)। शाखा में कार्रवाई किए जाने वाले विषयों से संबंधित मामलों के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों के अभ्यावेदन।
12. राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन हेतु स्वीकृति देने से संबंधित मुद्दे।